आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1000(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :—

1.	सचिव वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार	सदस्य
3.	सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
4.	फादर सल्दान्हा, प्रो. वनस्पति विज्ञान विभाग, सेंट जौसफ कॉलेज, बंगलौर	सदस्य
5.	प्रो. टी. आर. सी. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, जलीय विज्ञान विभाग कॉलेज ऑफ फीसरीज, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मंगलौर	सदस्य
6.	प्रो. डी. के. सुब्रमण्यम, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	सदस्य
7.	निदेशक, पर्यावरण तकनीकी सेल, वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग कर्नाटक सरकार	सदस्य-सचिव

II. पर्यावरण को, कर्नाटक राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त तटीय विनियमन ज़ोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबन्ध योजना (सी ज़ैड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों सा किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हो उपबन्धों का अभिकथित व्यतिक्रम के मामलों पर जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उसे विनिर्दिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबन्धों व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्टीय तटीय ज़ोन प्रबन्ध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए विनिर्दिष्ट करना :

परन्तु यह कि पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) और (ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई की जा सकेगी।

(iii) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकात फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय विवाध्यकों का निपटान करेगा जो कर्नाटक राज्य सरकार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितकीय संवेदनशील जोन की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण, अति संवेदनशील ह्रास/अवनत तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उसके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों का राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

VII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, जो कर्नाटक की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह मास में एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय बंगलौर में होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव